न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील सं0 13/2025 रसद
उचित मूल्य दुकानदार श्री भगवानसहाय ग्राम पंचायत अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा
.....प्रार्थिया/अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा
....अप्रार्थी/प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय अभियोग संख्या 36/2022 निर्णय दिनांक 20.12.2024 के तहत ।

उपस्थित–1. श्री डी0पी0सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती सूरज बाई मीना, विभागीय पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांकः 20.02.2026

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.12.2024 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी ग्राम पंचायत अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 138/07 है। प्रार्थी ने बिना किसी शिकायत के सन 2007 से ही ईमानदारी से ग्राम पंचायत अरनिया तहसील बसवा के उपभोक्ताओं को निष्ठपूर्वक रसद सामग्री का वितरण करता रहा है। प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्व आरोप लगाया गया है कि समस्त ग्रामवासी अरनिया द्वारा उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा को प्रार्थी/अपीलार्थी डीलर की झूठी शिकायत की गई। जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा संयुक्त गठित जाँच दल जिला रसद अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी को प्राथी/अपीलार्थी डीलर की जांच प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया गया जिसकी पालना में प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2022 व 13.09.2022 को प्रार्थी /अपीलार्थी की जांच की गई जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 7805 दिनांक 19.09.2022 द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी डीलर के प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशो तक निलम्बित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 13.09.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य सबूत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.08.2024 को प्रस्तुत कर दिया गया। जिस पर गौर नही करके दिनांक 20.12.2024 को प्रार्थी का प्राधिकार पत्र इकतरफा कार्यवाही करते हुये निरस्त कर दिया। श्रीमान् जिला रसद अधिकारी का निर्णय विधि विधान के विपरीत नैसर्गिक न्याय के विरूद्व इकतरफा निर्णय दिया गया है, जो निरस्तनीय है। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा नोटिस क०/रसद/अभियोग/2022 /7804 दिनांक 13.09.2022 दिया गया था। जिसका विस्तृत जवाब दिनांक 01.08.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को दिया गया था। जिसमें दिनांक 13.09.2022 को अति आवश्यक कार्य से रिश्तेदारो में गया था, जहां दूरभाष नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण सम्पर्क नही होने के कारण वार्ता नही हो सकी थी। इसलिये अनुपस्थिति मजबूरन थी। दुकान के बाहर स्टॉक व दर का अंकन किया हुआ था, उच्च अधिकारियो के दूरभाष नम्बर अंकित थे, किन्तु किसी शरारती बच्चो ने मिटा दिये जाने की संभावना रही थी। अपीलार्थी सूचना बोर्ड पर सूचनाओ का प्रदर्शन करके ही अपनी रिश्तेदारी में गया था। नोटिस के बिन्दु संख्या 5 में अंकित उपभोक्ताओ को सरपंच और एक राजनैतिक व्यक्ति जो अपीलार्थी को हटाकर खुद डीलर बनना चाहता है, ने झूठी शिकायत कर, उन्हे इक्ठठा किया गया था। उन सभी उपभोक्ताओ द्वारा लिखित में दिया गया है, जो पत्र संलग्न है। कि उन्हे डीलर अपीलार्थी द्वारा गेहूँ दिया गया है। शिकायत बहकावे में लेकर झूठी करना बताया है तथा माह दिसम्बर 2021 जनवरी 2022, फरवरी 2022 का राशन प्राप्त करने का कथन किया है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार छोटे छोटे मामलो में विक्रेताओ के विरूद्ध कार्यवाही नही की जायेगी। अपीलार्थी को जवाब प्रस्तुत करने के बाद आगामी पेशी से अवगत नही कराया, बिना प्रार्थी को सुने इकतरफा फैसल कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर नैसर्गिक न्याय के विरूद्व अवैध आदेश प्रदान किया है, जो निरस्तनीय है। प्रार्थी/अपीलार्थी डीलर का एकमात्र रोजगार की यही दुकान है। प्रार्थी/अपीलार्थी डीलर पर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवं प्रार्थी/अपीलार्थी डीलर द्वारा गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। उसके बावजूद प्रार्थी/अपीलार्थी डीलर के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः विवादित आदेश दिनांक 20.12.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी, दौसा के द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 20.12.2024 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान कर प्रार्थी/अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश पारित. करने की कृपा करे, ताकि प्रार्थी/अपीलार्थी को न्याय मिल सके अन्य कोई आदेश जो प्रार्थी/अपीलार्थी के हक में हो पारित फरमाये जावे।विभागीय पैरोकार ने बहस में कथन किया कि

4. प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय मय प्रवर्तन दल के द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का दिनांक 25.8.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। उपभोक्ताओं के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा अंगूठा लगवाना एवं गेहूँ नहीं दिये जाने की शिकायत की गई। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रार्थी को दिनांक 13.9.2022 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा दिनांक 19.9.2022 को प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 1.8.2024 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। आम जन की शिकायत एवं उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रेषित पत्र में अंकित तथ्यों एवं उपभोक्ताओं के बयानों तथा संयुक्त जांच दल द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.12.2024 को निरस्त किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

6. अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार(FPS-2578 [illegible] के विरूद्ध समस्त ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी बांदीकुई को राष्ट्रीय [illegible] में अनियमितताओं की शिकायत की। उपखंड अधिकारी बांदीकुई के पत्र दिनांक 4.8.2022 के आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय की एक संयुक्त जांच टीम दिनांक 25.8.2022 व दिनांक 13.9.22 ने मौके पर जाकर जांच की। जांच के दौरान दुकान बंद पाई गई, डीलर उपस्थित नहीं था, स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका और स्टॉक सूची दर का प्रदर्शन बोर्ड पर नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने बयान दिये कि डीलर

जिला कलेक्टर, दौसा

पोश मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेहूँ नहीं दे रहा है। इन अनियमितताओं के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.9.2022 जारी किया। डीलर द्वारा नियत तारीख दिनांक 19.9.2022 को जवाब पेश नहीं करने पर प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया। तत्पश्चात डीलर ने दिनांक 1.8.2024 को जवाब पेश किया गया। जिला रसद अधिकारी ने जवाब को असन्तोषजनक मानते हुए दिनांक 20.12.2024 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

अपीलांट ने निम्नांकित आधारों पर जिला रसद अधिकारी के निर्णय को निरस्त करने की मांग की:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- शिकायतें झूंठी थी और सरपंच तथा एक राजनैतिक व्यक्ति द्वारा उपभोक्ताओं को बहकावे में लाकर की गई थी।
- नोटिस की पेशी दिनांक 13.9.2022 पह वह दूरभाष नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के कारण अनुपस्थित जो मजबूरीवश थी।
- दुकान के बाहर स्टॉक व दर का अंकन किया हुआ था जिसे शरारती बच्चों ने मिटा दिया होगा।
- जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय विधि विरूद्ध और नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध एकतरफा था क्योंकि जवाब के बाद आगामी पेशी से अवगत नहीं कराया गया।
- डीलर पर गबन या कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है।

मैने अपीलार्थी के तर्क एवं जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय और संयुक्त जांच दल की विस्तृत रिपोर्ट, फर्द मौका और उपभोक्ताओं के बयानों का गहनता से अवलोकन किया।

<u>प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन</u> **(Violation of Natural Justice):**अपीलांट का मुख्य तर्क है कि जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय एकतरफा **(ex-parte)** था। हालांकि रिकार्ड से स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी ने पहले कारण बताओ नोटिस 13.96.2022 जारी किया। नियत पेशी पर डीलर उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया और डीलर को दिनांक 1.8.2024 को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जवाब पर जिला रसद अधिकारी ने विचार किया लेकिन इसे अस्पष्ट व संतोषजनक प्रतीत नहीं होना मानते हुए ही अंतिम निर्णय दिया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। विलंब से प्रस्तुत जवाब को स्वीकार करने के बाद भी जिला रसद अधिकारी ने गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया।

<u>अनियमितताओं की गंभीरता</u>**(Gravity of Irregularities):**संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट और मौके पर उपभोक्ताओं के बयान जिसमें रिंकू प्रजापत, भरोसी प्रजापत, अनीता, रेवडी, धापा, लछमा देवी, सोना देवी, नोरत्या कोली, [illegible] कुमार बैरवा मान देवी, गुडडी देवी, मोहन लाल प्रजापत, शारदा दे[illegible] रूप से यह दर्शाते है कि डीलर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना [illegible] पोश मशीन पर अंगूठा लगवाकर भी लाभार्थियों को वितरित नहीं किया गया। यह मा[illegible] कोई तकनीकी या मामूली चूक नहीं है, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के खंडों का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है जो गरीबों के हक के राशन को सीधे उनसे वंचित करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested

DK

जिला कलेक्टर,दौसा

तर्कों की विश्वसनीयता(**Reliability of Arguments):** अपीलार्थी द्वारा दिये गये कारण यथा कनेक्टिविटी की समस्या, शरारती बच्चों द्वारा सूचना बोर्ड मिटाना और राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है जबकि मौके पर की गई दो जांचों दिनांक 25.8.2022 व दिनांक 13.9.2022 और उपभोक्ताओं के लिखित बयानों ने अनियमितताओं की पुष्टि की है।

1. उपरोक्त न्यायिक विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा की गई अनियमिततएं गंभीर है और प्राधिकार पत्र निरस्त करने का निर्णय न्यायोचित है।

परिचालन भागः—**(Operative Part):**

1- अपील पर आदेशः—अपीलार्थी श्री भगवानसहाय सैनी द्वारा दायर अपील संख्या 13/2025 खारिज **(Dismissed)** की जाती है।

2- जिला रसद अधिकारी के निर्णय की पुष्टिः— जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा पारित निर्णय 36/2022 दिनांक 20.12.2024 जिसके तहत उचित मूल्य दुकानदार श्री भगवानसहाय सैनी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, की पुष्टि **(Confirmed)**किया जाता है।

3- उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालनः— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा सिविल रिट याचिका सं0 17016/2025 में पारित अंतरिम आदेयश दिनांक 10.11.2025 के अनुपालन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.11.2025 के अनुपालन में उचित मूल्य दुकान (PS-25786)की नीलामी नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगी रोक माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनायागया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested